

# Government Of Bihar

## Urban Development and Housing Department

1st Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna-800015  
(Tel: 0612-2210000; Email-udhd.bih@gmail.com)

04/Account-32/2012 - 748

UD & HD

Date: 9/2/2015

**The Branch Manager**  
Canara Bank,  
South Gandhi Maidan, Branch, Patna.

Please remit the amount through RTGS, as per the following details, by debiting BUDA account for the amount of remittance.  
Remitter's Details : Joint Secretary-cum-Director/Secretary, UD&HD  
Account Title : Bihar Urban Development Agency (BUDA)  
Debit Account No. : SB A/C No.-0352101037493

### Beneficiary Details:-

Beneficiary Name	Account No.	Bank	Branch	IFSC Code	Remittance Amount (Rs.)
Nagar Panchayat Teghra	32733303867	SBI	Teghra	SBIN0003012	18,17,150.00
Nagar Panchayat Warsaliganj	624302010005119	Union Bank	Warsaliganj	UBIN0562432	49,11,600.00
Nagar Panchayat Silao	6748000100017341	PNB	Silao	PUNB0674800	8,03,350.00
Nagar Panchayat Chakia	2066713455	Central Bank of India	Chakia	CBIN0283174	7,00,000.00
Total					82,32,100.00 (Eighty Two lac thirty two thousand one hundred only)

Urban Development & Housing Dept.  
GoB. Patna

Secretary,

*[Handwritten Signature]*



बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

1199

प्रेषक,

उप निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत,  
तेघरा, वारसलीगंज, सिलाव एवं चकिया।

पटना, दिनांक-

विषय:- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (SJSRY) योजना के अधीन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कराये गये प्रशिक्षण के विरुद्ध लम्बित राशि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (SJSRY) योजना के अधीन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय के BPL युवक एवं युवतियों को कराये गये प्रशिक्षण के विरुद्ध प्रशिक्षण दाता संस्था/एजेसी का लम्बित भुगतान का मामला विभाग के अधीन विचाराधीन था। संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त से विभाग द्वारा प्रशिक्षण दाता संस्था/एजेसी के लम्बित भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन मांगी गयी थी। सम्यक विचारोपरांत संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित राशि की स्वीकृति निम्नवत् दिया जाता है।

क्रम सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत राशि रू० में
01	तेघरा	18,17,150.00
02	वारसलीगंज	49,11,600.00
03	सिलाव	8,03,350.00
04	चकिया	7,00,000.00
कुल:-		82,32,100.00

(बेड़ासी लाख बत्तीस हजार एक सौ रू० मात्र)

- स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संस्था के एकरारनामा एवं SJSRY के मार्गदर्शिका के आलोक में पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर संस्था/एजेसी को भुगतये राशि का भुगतान करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा अवशेष राशि NULM के खाता में/विभागीय खाता में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत राशि की विमुक्ति योजना के अधीन बुडा में संचित राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उप निदेशक,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/स्वर्ण-04/13 488(91)

दिनांक-18/11/15

प्रतिलिपि:-विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव सह निदेशक के निजी सहायक, लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक।